

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना—15, दिनांक: 26.01.2024

संख्या—१/पी—१००२/२०२४—सा०प्र०—१५६६/श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा०प्र०से० (२०१०),
समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्तु पदाधिकारी, पटना)
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार,
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री चन्द्रशेखर सिंह अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी—सह—राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन—सह—आयुक्त—स्व—रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या—1/पी—1002/2024—साठप्र०—1567/श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा०प्र०से० (2011), महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एकट—2, 1974) की धारा—20 के तहत उन्हें पटना जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अशोक अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या—1/पी—1002/2024—साप्र०—1568/श्री रजनीकान्त, भा०प्र०से०(2011), मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा—20 के तहत उन्हें लखीसराय जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 31.01.2024 के अपराह्न से प्रभावी होगी।

संख्या—1/पी—1002/2024—साप्र०—1569/श्री नवल किशोर चौधरी, भा०प्र०से० (2013), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्तु पदाधिकारी, गोपालगंज) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

Aug 11 1947

(एकट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें भागलपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री नवल किशोर चौधरी अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या—1/पी—1002/2024—सा०प्र०—1570/श्री सुब्रत कुमार सेन, भा०प्र०स० (2013), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एकट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें मुजफ्फरपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सुब्रत कुमार सेन अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या—1/पी—1002/2024—सा०प्र०—1571/मो० मकसूद आलम, भा०प्र०स० (2013), माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एकट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें गोपालगंज जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. मो० मकसूद आलम अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

मेरा ॥१॥
(जगदीश कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:—1/पी०—1002/2024—सा०प्र०— 1571 /पटना—15, दिनांक: 26.01.2024

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा—आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/राज्यपाल के प्रधान सचिव, पटना/प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग—सह— मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग,

बिहार, पटना/महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित प्रमणडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू—संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई०टी० मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—०१, ०६, १२, १४ एवं १९ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव ।
मायूरी